

उत्तराखण्ड के मुख्यमंत्री ने बाढ़ राहत कोष को मंजूरी दी

चर्चा में क्यों

हाल ही में उत्तराखण्ड के मुख्यमंत्री ने [केदारनाथ क्षेत्र](#) में अत्यधिक वर्षा से प्रभावित व्यापारियों की सहायता के लिये मुख्यमंत्री [आपदा राहत कोष](#) से विशेष सहायता को मंजूरी दी।

मुख्य बिंदु

- यह धनराशि अत्यधिक वर्षा के कारण [लनिचौली](#) से [सोनप्रयाग](#) तक पैदल और मोटर मार्गों को हुए नुकसान से प्रभावित व्यापारियों को मुआवज़ा देने के लिये आवंटित की गई है।
- स्वीकृत राशिका उपयोग विशेष रूप से **31 जुलाई** को हुई क्षति से प्रभावित लोगों के लिये किया जाएगा।
- भुगतान [ई-बैंकिंग](#) अथवा [डिमांड ड्राफ्ट](#) के माध्यम से किया जाएगा तथा लाभार्थियों का विवरण ज़िला स्तर पर रखा जाएगा।
- [रुद्रप्रयाग ज़िला](#) के आपदा प्रभावित क्षेत्रों से लगभग 17,000 लोगों को निकाला गया।

मुख्यमंत्री राहत कोष (CM Relief Fund- CMRF)

- मुख्यमंत्री राहत कोष (CMRF) प्राकृतिक आपदाओं जैसे- [बाढ़](#), [सूखा](#), [भूकंप](#) आदि या किसी अन्य समान आपदाओं से प्रभावित पात्र परिवारों और व्यक्तियों को राहत प्रदान करने के लिये एक आपातकालीन सहायता योजना है।